न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 377/13 अन्तर्गत धारा 212 Rt Act

प्रार्थीगण :– 1. धर्माराम पुत्र भूराराम, जाति जाट, निवासी चूली डूंगरी तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. कलाराम 2.हडुमान पि. भूराराम 3.मु.नोजी बेवा भूराराम जातियान जाट, निवासी चूली डूंगरी, तहसील चौहटन 4.तहसीलदार चौहटन

वकील प्रार्थीगण :– श्री मुकनसिंह राठौड़

विप्रार्थीगण वकील :– श्री जगदीश पोटलिया (विप्रार्थी सं. 1 व 3)

सहायक कलक्टर चौहटन

निर्णय

दिनांक 20.4.2018

प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. 1955 विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया। जिसका सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 से 3 हिन्दू विधि से शासित है तथा स्व.भूरा पुत्र शिवजी के वारिसान है। पक्षकार की पैतृक सहदायिकी खानदानी कृषि भूमि अविभाजित ग्राम चौहटन मौजूदा नवसृजित ग्राम चूली डूंगरी में आई हुई है। प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 1 व 2 सगे भाई तथा स्व. भूराराम की जाईन्दा संतान है। भू–प्रबन्धन के दौरान पक्षकारान की पैतृक सम्पति के खसरा सं. 109, 207, 209, 150, 156, 166, 155 रकबा 246.13 बीघा कायम होकर पर्चा लगान प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता एवं विप्रार्थी सं. 3 के पति स्व. भूराराम के नाम से जारी हुआ । संयुक्त परिवार की इस पैतृक सहदायिकी भूमि में जैसा कि हिन्दू उतराधिकार विधि की धारा 6 में प्रावधान है कि प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 1 व 2 का अपने पिता स्व.भूराराम के बराबर हक हकूक पैदा हो चुके थे। माननीय राजस्व मण्डल ने 1981 आर.आर.डी. पृ.सं. 512 देवीलाल बनाम फनूबाई में इस संबंध में जो मत दिया है वह इस प्रकार है कि *Hindu Son have right by birth in ancestral holding in hands of father even during life time and can claim partition* अर्थात पैतृक संपति में हिन्दू पुत्र के अधिकार जन्म से ही उसके पिता के जीवनकाल में ही पैदा हो जाते है तथा विभाजन से अपना हिस्सा पृथक करा सकता है। ऐसी ही हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 में है और इस विधि अनुसार इस पैतृक सम्पति में स्व. भूराराम व उसके तीनों जाईन्दा पुत्रों

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

का खातेदारी हिस्सा 1/4–1/4 था। खसरा सं. 109, 166, 156, 209 रकबा क्रमशः 17.09, 01.11, 67.00, 00.19 कुल 86.19 बीघा शेष 159.14 बीघा जो पैतृक भूमि है जिसमें हिस्सा 1/4 प्रार्थी का, 1/4 हिस्सा विप्रार्थी सं. 1 का, 1/4 हिस्सा विप्रार्थी सं. 2 का एवं शेष रहा 1/4 हिस्सा पक्षकारान के वालिद स्व.भूराराम का है जिसके निर्वसीयती देहान्त होने के कारण धारा 40 रा.का.अ. व धारा 5 हिन्दू उतराधिकार विधि अनुसार उसके चारों वारीसान प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 1 से 3 में समाहित हो गया तथा पक्षकारान के खातेदारी रकबे की स्थिति इस प्रकार हो गई प्रार्थी धर्माराम का पैतृक रकबा 39.18 तथा स्व.भूरा से विरासत में प्राप्त 10.00 बीघा कुल 49.18 बीघा, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 कलाराम का 49.18 बीघा, प्रतिवादी सं. 2 हडुमानराम का 49.18 बीघा तथा प्रतिवादी सं. 4 नोजी का 10.00 बीघा। विप्रार्थी सं. 3 जो स्व. भूराराम की विधवा है तथा प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 1 व 2 की माता है को भूराराम का 1/4 हिस्सा से उतराधिकारी अधिनियम की धारा 6 अनुसार 10.00 बीघा भूमि प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 3 मु.नोजी ने अपना हिस्सा पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 18.05.2012 द्वारा विप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में त्याग दिया। इस स्थिति में प्रार्थी का हिस्सा 5/16, विप्रार्थी सं. 1 का हिस्सा 5/16 व विप्रार्थी सं. 2 का हिस्सा 5/16 हो गया परन्तु विप्रार्थी सं. 1 कलाराम ने इस आराजी में अपना हिस्सा 1/2 बताते हुए वादग्रस्त आराजी में विधिक हिस्से से अधिक रकबे पर कब्जा करने की धमकी देकर विवाद की स्थिति पैदा कर दी। वादग्रस्त आराजी में विप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी करता है, प्रार्थी को बेदल करने की धमकिया देता है। वादग्रस्त अराजी सरजोर व्यक्तियों को बेचान व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने की भी धमकिया देता है। विप्रार्थी सं. 1 अपनी उक्त अनुचित योजना में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी के साथ घोर अन्याय तथा अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में नहीं हो सकेगी। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि विप्रार्थी सं. 1 स्वयं अथवा अन्यों के जरिये वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के हिस्से में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करे , न ही वादग्रस्त भूमि का किन्ही अन्यों को बेचान या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करे तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश पोटलिया उपस्थित हुए। दिनांक 19.11.15 को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर उभयपक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 20.02.18 को विप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध अनु. रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी सं. 1 व 3 के वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करके सीधे बहस का निवेदन किया । दिनांक 11.04.18 को वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में मौखिक बंटवाड़ा कर दिया था जिसके अनुरूप तीनों भाई मौके पर काबिज है। काश्त करते है। मु.नोजी विधवा भूराराम ने

सहायक कलक्टर

अपने 1/4 हिस्से की भूमि का हक अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में हक तर्क कर दिया जो गलत एवं विधि विपरीत है। नोजी अपने हिस्से की 1/4 भूमि का 1/4 भाग ही हक त्याग या बेचान कर सकती है। विप्रार्थीगण के वकील ने बताया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को स्व.भूराराम की खातेदारी भूमि से विधि अनुसार एवं हिस्से अनुसार 1/4–1/4 भूमि प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 3 अपने हिस्से की भूमि का बेचान या हक त्याग करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा भूमि पर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा लेने के कारण अप्रार्थीगण ना तो भूमि पर काश्त कर पा रहे है और न ही ऋण आदि ले पा रहे है। चूंकि विप्रार्थीगण रिकॉर्डेड सहखातेदार है अतः उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता , साथ ही विप्रार्थी सं. 3 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत अपने पति की सम्पति में प्रथम श्रेणी की हकदार है अतः वो अपने हिस्से की भूमि का बेचान या हक तर्क / त्याग करने के लिए पूर्णतया स्वतन्त्र है।

वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । प्रार्थना पत्र में बिन्दुवार विवेचना इस प्रकार है :–

1.प्रथम दृष्टया प्रकरण

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि पत्नी पैतृक सम्पति में सहदायिक न होने से उसका धारा 6 हिन्दू उतराधिकार विधि अनुसार नहीं बनता । प्रार्थी के वकील ने बहस में बताया कि विप्रार्थी सं. 3 अपने हिस्से की भूमि का 1/4 भाग ही बेचान अथवा हक त्याग करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का यही मूल आधार भी है। वकील विप्रार्थीगण के अनुसार विप्रार्थी सं. 3 अपनी भूमि बेचने अथवा हक त्याग हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं अधिकृत है।

हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में धारा 06 में जो अधिकार पुत्रों को दिया गया है वह पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल से ही पुत्रों के अधिकार से संबंधित है जो प्रार्थना पत्र पर लागू नहीं होता है। विप्रार्थी सं. 3 को भूमि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी का उतराधिकारी होने पर मिली है और भूमि पर पूर्ण स्वामित्व रखती है। इस कारण वह अपनी भूमि का बेचान अथवा हक तर्क के लिए स्वतन्त्र है। अतः इस बिन्दु को सिद्ध करने में असफल रहे है।

2.सुविधा का संतुलन

चूंकि विप्रार्थी सं. 3 अपनी भूमि की *Absolute Owner* है, अतः भूमि के बेचान अथवा हक त्याग के लिए भी स्वतंत्र है। अतः सुविधा का संतुलन किसी दृष्टि से प्रार्थी के हक में कयास नहीं होता है अतः यह बिन्दु भी प्रार्थी सिद्ध करने में असफल रहे।

3.अपूर्णीय क्षति

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया कि वादग्रस्त आराजी में विप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करता है तथा प्रार्थी को जबरन ताकत के बल पर

सहायक कलक्टर (SDO) सौंठल

बेदखल करने की धमकियां देता है तथा वादग्रस्त आराजी का किन्ही सरजोर व्यक्तियों को बेचान या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने की धमकियां दे रहा है इस प्रकार यदि विप्रार्थी सं. 1 अपनी अनुचित योजना में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी के साथ घोर अन्याय होगा तथा अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में नहीं की जा सकेगी तथा प्रार्थी का दावा पेश करने का मकसद समाप्त हो जावेगा। वकील विप्रार्थीगण ने बताया कि प्रार्थी विप्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा कर काश्त नहीं करने दे रहा है तथा विवादग्रस्त खसरों पर अन्तरिम अस्थायी निषेधा लेने से ऋण आदि नहीं ले पा रहा है। अतः अपूर्णीय क्षति उसे हो रही है।

चूंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पत्नी अपने पति की सम्पति में प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी है और प्राप्त सम्पति *Absolute Property* होने से बेचान या हक त्याग करने का पूर्ण अधिकार भी रखती है। अतः प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह बिन्दु भी प्रार्थी सिद्ध करने में असफल रहा है।

उपरोक्त विवेचनानुसार न्यायालय के मतानुसार प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सिद्ध नहीं होने से खारीज किया जाता है। निर्णय आज खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर चौहटन

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन